FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत ________ मुकाम ________

________ बनाम ________

किस्म मुकदमा अपील नं. 2 सन 2015

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28-3-17	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थी उपस्थित। वकील अपीलार्थी बहस हेतु स्थगन चाहा है। बहस हेतु स्थगन दिया जाता है। वास्ते बहस हेतु पत्रावली दिनांक 25-4-17 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
25-4-17	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थी उपस्थित। वकील अपीलार्थी ने बहस करनी चाही। वकील अपीलार्थी की बहस सुनी गयी। वास्ते आदेश हेतु पत्रावली दिनांक 28-4-17 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	(हस्ताक्षर)
28.4.17	... पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 21-11-17 को पेश हो। (हस्ताक्षर) रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
21-11-17	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थी उपस्थित। प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्रीमति लाडी पुत्री स्व० श्री गोपी w/o देबी लाल गुर्जर ने अपील अन्तर्गत धारा 75 रा० भू० रा० अ० के तहत पेश कर निवेदन किया कि अपीलार्थिया के पिता गोपी से उन्हें विरासत से मिली है। रेस्पोंडेन्ट सं० 1 श्री ईश्वर पुत्र स्व० श्री गोपी गुर्जर नि० गराड़िया के नाम नामान्तकरण सं० 310 दिनांक 28-12-2001 में गलत तरीके से दर्ज किया। अतः नामान्तकरण में प्रतिवादी (हस्ताक्षर)	

उपखण्ड अधिकारी
मांडल ... भीलवाड़ा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	स० 1 व 2 का नाम निरस्त किया जाकर गोपी के हिस्से की आराजियात 1/3 हक हिस्से से अपीलार्थी के नाम दर्ज किया जावे। प्रकरण दर्ज किया जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्टस बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध दिनांक 28-5-2015 को एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया व मनन किया। प्रकरण में विरासत का नामान्तकरण की कार्यवाही ग्राम पंचायत कबराड़िया के नामान्तकरण स० 310 दिनांक 28-12-2001 को खोल दिया गया, जो विधि विरुद्ध एवं काबिल निरस्तीकरण के है। जबकि अपीलार्थी ने अपनी अपील में पारिवारीक सजरा पेश कर गोपी पिता जालू की जायन्दी पुत्री होकर उनकी वारीस होना बताया। उपरोक्त विवेचन अनुसार ग्राम गाराड़िया पटवार हल्का कबराड़िया तहसील मांडल के जमाबन्दी सं० 2069-72 खाता संख्या 910, 21, 22, 23, 97, 11 व 12 ईश्वर पिता गोपी के हिस्से में अपीलार्थी को 1/3 हिस्सा से सहकाश्तकार घोषित किये जाने आदेश दिया जाता है उसी अनुसार भूमि अपीलार्थी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावे। निर्णय की पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार मांडल को भिजवाते हुए लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर निर्णय से कम हो। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	